6.1.1

कार्यालय—आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,

ब्लॉक—सी—30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 91 /46/आउशि/आडिट/2017 **नया रायपुर, दिनांक 12/05/2017**

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय
जगदलपुर
जिला—जगदलपुर(छ0ग0)

विषय :— **विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2007 से 03/2017 तक का प्रेषण ।**

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय का विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2007 से 03/2017 तक का संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्रतिवेदन की कंडिकाओं का उत्तर मय अभिलेखों के दो प्रतियों में इस कार्यालय को निराकरण हेतु भेजने की व्यवस्था करें।

प्रतिवेदन का उत्तर निम्न प्रारूप में आड़ी सीट में तैयार किया जावे तथा संचालनालय की टीप हेतु पर्याप्त स्थान छोड़े ।

// प्रारूप //

कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	संचालनालय की टीप

संलग्न :— **उपरोक्तानुसार।**

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ0ग0)

422
13/5/17

E/verma sir/audit lettr

शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर जिला–जगदलपुर के विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2007 से 03/2017 तक

प्रस्तावनाः–शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय,जगदलपुर जिला–जगदलपुर के अवधि 10/2007 से 03/2017 तक के अभिलेखों का विभागीय अंकेक्षण दिनांक 18.04.2017 से 22.04.2017 तक विभागीय अंकेक्षण दल के श्री यू0के0गजेन्द्र,वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं श्री ए0आर0वर्मा,वरिष्ठ अंकेक्षक द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे :–

1	प्राचार्य	डॉ.एम.आई.मेमन	01.10.07 से 09.01.12 तक
		श्री एस.पी.तिवारी	10.01.12 से 02.02.12 तक
		डॉ0श्रीमती व्ही.विजयलक्ष्मी मूर्ति	03.02.12 से 25.08.14 तक
		डॉ0श्रीमती रश्मी शुक्ला	26.08.14 से लगातार
2	ग्रंथपाल	श्री हरपिंदर सिंह	10/07 से 06/15 तक
		श्रीमती बबीता दीवान	06/15 से निरंतर
3	क्रीडा अधिकारी	डॉ0नीता नायर	10/07 से 07/08 तक
		श्री एम.एल.नदेश्वर	07/08 से 07/09 तक
		सुश्री नीता वाजपेयी	07/09 से 09/12 तक
		डॉ0योगेन्द्र मोतीवाला	09/12 से 07/16 तक
		श्री श्यामाचरण	07/16 से लगातार
4	मुख्य लिपिक	–	
5	लेखापाल	कु0ललिता कश्यप	01.07.10 से लगातार
6	कैशियर	कु0ललिता कश्यप	01.07.10 से लगातार
7	स्टोर कीपर	कु0ललिता कश्यप	01.07.10 से लगातार

पूर्व में किए गये अंकेक्षण की स्थिति :– शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय,जगदलपुर जिला–जगदलपुर के अभिलेखों का महालेखाकार, कोष लेखा एवं पेंशन एवं अन्य अभिकरण द्वारा किए गए अंकेक्षण की स्थिति निम्नानुसार है–

क्रमांक	आडिट का प्रकार	आडिट की अवधि	प्रतिवेदन का उत्तर भेजने का क्रमांक व दिनांक	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	महालेखाकार	10/96 से 12/2000 तक	160/16.08.16	–
2	कोष लेखा एवं पेंशन	–	–	–
3	विभागीय	08/01 से 09/07	212/07.10.13	–

नगदी शिलक का भौतिक सत्यापन :– शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय,जगदलपुर जिला–जगदलपुर द्वारा संधारित कैशबुक में प्रविष्ठ अंतिम शिलक का चेस्ट में रखी गई नगदी राशि से सत्यापन किया गया जो निम्नानुसार है :–

क्र.	कैशबुक का प्रकार	कैशबुक पृष्ठ क्र0 व दिनांक	कैशबुक में अंतिम शिलक	चेस्ट में पाई गई राशि
1	शासकीय कैशबुक	37 / 31.03.17	00=00	00=00
2	पी0डी0कैशबुक	69 / 30.03.17	45999=00	45999=00
3	ए0एफ0कैशबुक			
4	यू0जी0सी0कैशबुक	41 / 06.03.17	00=00	00=00
5	जनभागीदारी कैशबुक	168 / 12.01.17	216=00	216=00
6	रैकबास	–	00=00	00=00
7	एन0एस0एस0 कैशबुक	–	00=00	00=00

<u>कंडिका क्रमांक–1:– प्रतिभूति की राशि जमा करायें जाने बाबत्</u> :– वित्त संहिता भाग–एक के नियम 282 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी, लेखापाल, कैशियर, स्टोर प्रभारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों से प्रतिभूति की राशि जमा कराया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि नहीं ली गई। कृपया संबंधितों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि रू. 1000.00 जमा कराया जाकर आडिट को अवगत करायें ।

कंडिका–2– <u>ए0 एफ0 मद की राशि का रिजर्व फंड में जमा न करने बाबत्</u> :– ए0 एफ0 नियम–14 के अनुसार ए0एफ0मद में प्राप्त राशि एवं 30 जून तक व्यय न किए जा सके ऐसी अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा किया जाना चाहिए ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में ए0एफ0मद में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत राशि एवं 30 जून की शेष अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा नहीं किया गया है । अतः ऐसी राशि की गणना वर्षवार किया जाकर उसे रिजर्व फंड में जमा किया जा कर आडिट को अवगत करावें ।

<u>कंडिका–03– काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बाबत्</u> :– महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से काशनमनी ली जाती है तथा उनके महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांगे जाने पर लौटाया जाता है, तथा जो राशि नहीं लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए ।

अंकेक्षण अवधि में काशनमनी की राशि को राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है ।

कृपया काशनमनी की राशि जो छात्रों को नहीं लौटायी गई है कि वर्ष 2002–2003 से नियमानुसार गणना कर राजसात किया जावे तथा इस राजसात राशि को कोषालय में जमा कर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका –04 :–चालानों का सत्यापन कोषालय से कराये जाने बावत् :–

छ0ग0कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 53(5)में यह प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय राशि जब कोषालय/बैंक में जमा कराई जाती है तब जमा राशिके चालान की मूल प्रति को कैशबुक में दर्ज करने के पूर्व कोषालय/बैंक में राशि जमा होने बावत् पूर्णतः संतुष्ट होने पर कैशबुक में प्रविष्ठि की प्रमाणित करना चाहिए । कोषालय में जमा राशि का मिलान नहीं किया जाना अथवा लंबे अंतराल बाद किया जाना नियमों के प्रतिकूल है तथा गंभीर लापरवाही का प्रतीक है । अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि कोषालय/बैंक में चालान द्वारा जमा की गई राशियों का मिलान कोषालय अभिलेख से कर यह सुनिश्चित किया जाय कि शासकीय धन राशि वास्तव में शासकीय कोष में जमा हो गई है ।

कंडिका कमांक–05 – अशासकीय शुल्क की राशि शासकीय मद में जमा किए जाने बावत्– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न अशासकीय शुल्क की राशि को चालान द्वारा शासकीय मय में जमा किया गया है । कृपया इस राशि को शासकीय मद से अशासकीय मय में जमा कर आडिट को अवगत करावें–

चालान क्र0	201/04.09.11	रू0 2951/–
	162/06.09.11	रू0 279/–
	178/15.09.14	रू0 21020/–

कंडिका क्र0–06 पी0डी0खाते का मिलान न होने बावत्:– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय मय के व्हाउचरों एवं कैशबुक का परीक्षण करने पर पाया गया कि पी0डी0में जमा राशि का कोषालय से मिलान नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कैशबुक में जमा राशि एवं कोषालय में जमा राशि बराबर है अथवा अंतर है ।

छ0ग0शासन,वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 2117/97/सी/चार दि0 16.12.97 एवं कोषालय संहिता भाग–1के सहायक नियम 584 से 590 तक में दिए गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित पी0डी0खाते के प्रशासक से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष बराबर है यदि इसमें अंतर दृष्टिगोचर होता है तो अंतर की राशि का सत्यापन तत्काल किया जावे।

कृपया पी0डी0खाते में जमा राशि का कोषालय से दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में मिलान कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका –07–भुगतान की पावती न होने बावत् :– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न राशियों के भुगतान की पावती उपलब्ध नहीं पाया गया–

क्रमांक	विवरण	चैक क्र0 व दिनांक	राशि
1	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	200950/01.10.07	20050/-
2	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	200949/01.10.07	9600/-
3	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	205124/06.12.07	520/-
4	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	205619/12.12.07	3440/-
5	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	227667/01.10.08	21100/-

छ0ग0कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 306 के अनुसार समस्त भुगतान की पावतियां आवश्यक है। पावती के अभाव में भुगतान आडिट को मान्य नहीं है।

कृपया पावती प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका -08 :-ए0एफ0मद के लिए कैशबुक का संधारण न किए जाने बावत्-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ए0एफ0मद के लिए कैशबुक का संधारण न किया जाकर एक ही कैशबुक में ए0एफ0 एवं पी0डी0 मद की राशि का संधारण किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है। इससे यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सका कि ए0एफ0 मद में कितनी राशि प्राप्त हुई,कितना व्यय हुआ एवं कितनी राशि शेष बचत है। नियमानुसार ए0एफ0 एवं पी0डी0मद की राशि के लिए अलग-2 कैशबुक का संधारण किया जाना चाहिए।

कृपया ए0एफ0 एवं पी0डी0मद की राशि के लिए अलग-2 कैशबुक का संधारण कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका-09-सी.पी.एस.अंशदान कटौती का रजिस्टर संधारण बावत्- अंकेक्षण अवधि में महाविद्यालय में नव नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का परीक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 01.11.2004 से लागू अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत इन्हें आवंटित पी.आर.ए.एन.की प्रविष्ठि सेवा पुस्तिका में नहीं पाई गई। तथा एनेक्सचर-3 अनुसार एनेक्सचर-5 में इनके वेतन से प्रतिमाह काटी जाने वाली अंशदान की राशि के लिए लेजर का संधारण नहीं किया गया है। कृपया उपरोक्त कमियों की पूर्तीकर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका -10-जनभागीदारी मद से मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में- जनभागीदार समिति मद के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न सूची अनुसार राशि रूपये 3,97,648/-मजदूरी के भुगतान के लिए व्यय किया गया है।

जनभागीदारी समिति के निधि के संचालन हेतु छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ-73-6-96 सी-3-38 दिनांक 30.09.1996 के नियम (छ) अनुसार निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा । सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा ।

नियम (झ) अनुसार समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगा, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेंगी ।

अतः मजदूरी पर किया गया व्यय नियमानुसार नहीं होने के कारण आडिट को मान्य नहीं है। कृपया मजदूरी के लिए किए गये व्यय राशि रूपये 3,97,848/-की अनुमति/घटनोत्तर स्वीकृति शासन से प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका -11:-जनभागीदारी समिति के बैंक खाते के संबंध में:- जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि समिति का निम्न बैंकों में खाता खोला गया है-

1 भा0स्टे0बैंक,जगदलपुर- 10460910181 जनभागीदारी से शुल्क जमा एवं व्यय हेतु।

1 भारतीय स्टेट बैंक,जगदलपुर- 3009503949 -ज0भा0स0से विषय संचालन हेतु।

इन खातों के लेन देन हेतु अलग-2 कैशबुक का संधारण किया गया है परन्तु व्हाउचर एक जाई रूप से रखा गया है,जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन सा व्हाउचर किस मद का है तथा किस खाते से व्यय किया गया है।

कृपया पृथक-2 खातों से व्यय किए जाने वाली राशि का व्हाउचर पृथक-2 रखा जा कर आडिट को अवगत करावे।

कंडिका -12-राशि की प्रविष्टि कैशबुक में नहीं किए जाने बाबत्:-अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया गया है परन्तु इसकी प्रविष्टि कैशबुक में नहीं की गई है-

दिनांक	राशि
24.01.12	9100/-
16.02.12	7250/-
10.02.12	5700/-
29.03.12	21450/-
11.06.12	35500/-
11.06.12	12150/-
28.07.13	29900/-

कृपया इसकी प्रविष्टि कैशबुक में किया जाकर आडिट को अवगत करावे।

2/ निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया । यदि राशि कोषालय में जमा की गई है तो उसकी जमा पर्ची की प्रति उपलब्ध करावे अथवा संबंधित से राशि वसूल कर जमा किया जाकर आडिट को अवगत करावें-

डी0एफ0सी0 पु0क्रमांक व दिनांक	राशि
97/25.07.12	9600/-
98/25.07.12	9600/-
	9300/-
99/26.07.12	9900/-
99/30.07.12	9300/-
106/-03.09.12	1200/-
93/06.07.12 से 97/25.07.12	67200/-

कंडिका –13–जनभागीदारी समिति के मद से स्नेह सम्मेलन पर व्यय करने बावत् :– अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से स्नेह सम्मेलन हेतु राशि रू0 8481/–व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क0 456/05.02.16 पर किया गया है।

छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क0 73–6–96 सी–3–38 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के व्यय के संबंध में जारी निर्देश कमांक(छ)अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियो के लिए नहीं किया जावेगा।

अतः उपरोक्त व्यय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका –14–ज0भा0 समिति के मद से न्यायालयीन प्रकरण पर व्यय करने बावत् :– अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से श्री घनस्याम सिंह ठाकुर से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण हेतु राशि रू0 11000/–व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क0 396/25.09.14 पर किया गया है।

छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के व्यय के संबंध में जारी निर्देश कमांक(छ)अनुसार समिति को निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियो के लिए नहीं किया जावेगा।

अतः उपरोक्त व्यय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका –15–ज0भा0 समिति के मद से स्वल्पाहार पर व्यय करने बावत् :– अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से स्वल्पाहार हेतु राशि रू0 2765/–व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क0 357/24.09.13 पर किया गया है।

छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के व्यय के संबंध में जारी निर्देश कमांक(छ)अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियो के लिए नहीं किया जावेगा।

अतः उपरोक्त व्यय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।

कनिष्ठ लेखाधिकारी
उच्च शिक्षा संचालनालय
गया रायपुर–छ0ग0

जनभागीदारी समिति से मजदूरी का भुगतान का विवरण

माह	राशि	Sub Vr क्र0
10/07	7000=	51/07.11.07
11/07	7000=	61/01/12/07
12/07	7000=	80/0[illegible].1.08
1/08	7000=	93/2.2.08
2/08	7000=	104/1.3.08
3/08	7000=	117/3.4.08
4/08	7000=	123/1.5.08
6/09	8000=	137/4.6.08
7/09	8000=	151/5.7.08
8/09	8000=	162/8.8.08
9/09	8000=	174/4.9.08
10/09	8000=	[illegible]/6.10.08
10/09 से 11/09	8000=	212/2.12.8
11/09	8000=	223/7.01.09
12/09	9500=	72/1.2.10
01/10	9500=	82/3.3.10
02/10	9500=	95/3.4.10
03/10	9500=	100/20.4.10
4/10	9500=	103/1.6.10
5/10	9500=	106/1.7.10
6/10	9500=	122/4.8.10
7/10	9500=	112/3.9.10
8/10	~~9500~~ 8740=	123/4.10.10
9/10	9500=	127/1.10.10
10/10	9500=	139/1.12.10
11/10	9500=	158/1.1.11
12/10	9500=	170/1.2.11
01/11	9500=	177/01.3.11
2/11	9500=	184/4.4.11
3/11	~~9500~~ 7600=	

4/11 9500=00 199/30.4.11
5/11 9500=00 213/2.5.11
6/11 9383=00 224/2.7.11
7/11 9500=00 254/4.8.11
8/11 9500=00 266/6.9.11
9/11 9500=00 273/5.10.11
10/11 18000= 278/21.10.11
6000=00 278/21.10.11
11/11 13500=00 138
14250=00 144
12/11 7250=00 145/3.2.12
1/12 7250=00 145/3.2.12
2/12 7250=00 150
3/12 7250=00 151/17.5.12
4/12 7250=00 155/30.6.12
5/12 7250=00 324/6.8.12
6/12 3625

Total 397,816=00

Rs Three lakh Ninety Seven thousand Eight hundred Sixteen only

SA/CHB

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
Phone : 07782-225216 (O).

क्र0 / २५३ / स्था0 / 2017 /
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक25/09/2017

अपर संचालक (आडिट)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर, (छ0ग0)

विषयः विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10 / 2007 से 03 / 2017
संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 91 / 366 / आउशि / आडिट / 2017 नया रायपुर दिनांक 12 / 05 / 2017

——000——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10 / 2007 से 03 / 2017 तक की कंडिकावार उत्तर संलग्न प्रारूप में भरकर दो प्रतियों में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः— दो प्रति।

प्राचार्य
शा0दन्तो0स्नातको0महि0महाविद्यालय
जगदलपुर(छ.ग.)

कार्यालय–आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 01 / 366 / आउशि / आडिट / 2017 नया रायपुर, दिनांक 2 / 1 / 2018

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय
जगदलपुर, जिला–जगदलपुर (छ0ग0)

विषय :– विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10 / 07 से 03 / 17 तक का प्रेषण।

संदर्भ:– आपका पत्र क0 243 / स्था / 17 दिनांक 25.09.2017.

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय का विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10 / 2007 से 03 / 2017 तक पर विभागीय टीप अंकित कर प्रेषित है।

कृपया लंबित कंडिकाओं के संबंध में समाधान कारक उत्तर प्रेषित करे,जिससे कि इनका निराकरण किया जा सके।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ0ग0)

H/C

706/18
05.01.18

E/verma sir/aadit lettr

क्र.	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	संचालनालय की टीप
1	**प्रतिभूति की राशि जमा करायें जाने बाबत्** :— वित्त संहिता भाग–एक के नियम 282 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी, लेखापाल, कैशियर, स्टोर प्रभारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों से प्रतिभूति की राशि जमा कराया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि नही ली गई। कृपया संबंधितों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि रू. 1000.00 जमा कराया जाकर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से प्रतिभूति रूपये 1000/– जमा करवाकर तत्काल आडिट को अवगत करा दिया जायेगा। संलग्न:–01	यथावत |
2	**ए0एफ0मद की राशि का रिजर्व फंड में जमा न करने बाबत्**:— ए0 एफ0 नियम–14 के अनुसार ए0एफ0मद में प्राप्त राशि एवं 30 जून तक व्यय न किए जा सके ऐसी अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में ए0एफ0मद में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत राशि एवं 30 जून को शेष अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा नही किया गया है। अतः ऐसी राशि की गणना वर्षवार किया जाकर उसे रिजर्व फंड में जमा किया जा कर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार 30 जून तक व्यय न किये गये ए.एफ.मद की 5 प्रतिशत एवं शेष अव्ययित राशि की वर्षवार गणना कर रिजर्व फंड में जमा किये जाने हेतू प्रक्रिया की जा रही है उसके पश्चात आडिट को अवगत करा दिया जाएगा।	यथावत |
3	**काशनमनी की राशि राजसात किए जाने** बाबत् :— महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से काशनमनी ली जाती है तथा उनके महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांगे जाने पर लौटाया जाता है, तथा जो राशि नही लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए।	निर्देशानुसार काशनमनी की राशि वर्ष 2003–2004 से 2013–14 तक वर्षवार गणना कर राजसात किये जाने हेतू प्रक्रियाधीन में है कोषालय में जमा करने के पश्चात चालान की छांयाप्रति देकर आडिट को अवगत करा दिया जाएगा।	यथावत | उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

	[illegible] कोषालय में जमा किया जाना नहीं [illegible] जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। कृपया [illegible] की राशि जो छात्रों को नहीं लौटायी गई है कि वर्ष 2002-2003 से नियमानुसार गणना कर राजसात किया जावे तथा [illegible] राजसात राशि को कोषालय में जमा कर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें।		
4	**चालानों का सत्यापन कोषालय से कराये जाने बाबत्** :– छ0ग0 कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 53(5) में यह प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय राशि जब कोषालय/बैंक में जमा कराई जाती है तब जमा राशि के चालान की मूल प्रति को कैशबुक में दर्ज करने के पूर्व कोषालय/बैंक में राशि जमा होने बाबत् पूर्णतः संतुष्ट होने पर कैशबुक में प्रविष्टि को प्रमाणित करना चाहिए। कोषालय में जमा राशि का मिलान नहीं किया जाना अथवा लंबे अंतराल बाद किया जाना नियमों के प्रतिकूल है तथा गंभीर लापरवाही का प्रतीक है। अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि कोषालय/बैंक में चालान द्वारा जमा की गई राशियों का मिलान कोषालय अभिलेख से कर यह सुनिश्चित किया जाय कि शासकीय धन राशि वास्तव में शासकीय कोष में जमा हो गई है।	आडिट के निर्देशानुसार शासकीय/अशासकीय चालान को कोषालय द्वारा सत्यापित किये जाने हेतु चालान रजिस्टर संधारित किया गया है आगामी आडिट में प्रस्तुत किया जायेगा।	यथावत।
5	**अशासकीय शुल्क की राशि शासकीय मद में जमा किए जाने बाबत्**– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं वाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न अशासकीय शुल्क राशि को चालान द्वारा शासकीय मद में जमा किया गया है। कृपया इस राशि को शासकीय मद से अशासकीय मद में जमा कर आडिट को	आडिट के निर्देशानुसार अशासकीय चालान की राशि को शासकीय मद से आहरित कर अशासकीय मद से जमा हेतु महालेखाकार एवं कोषालय को पत्र प्रेषित किया गया है प्रक्रिया पूर्ण होते ही आडिट को अवगत करा दिया जायेगा। संलग्न – 1,2,3,4	यथावत। संयुक्त संचालक (वित्त) लोक शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

[illegible]

[illegible] 04.09.11 [illegible] 7951

[illegible] 06.09.11 [illegible] 279

[illegible] 15.09.14 [illegible] 21020

क्र.	आपत्ति	उत्तर	अभिमत
6	**पी०डी०खाते का मिलान न होने बाबत्** अंकेक्षण [illegible] से अशासकीय [illegible] कैशबुक एवं [illegible] का परीक्षण करने पर पाया गया कि पी०डी० में जमा राशि का कोषालय से मिलान नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कैशबुक में जमा राशि एवं कोषालय में जमा राशि बराबर है अथवा अंतर है। छ०ग० शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2117/97/सी/चार दि० 16.12.97 एवं कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 584 से [illegible] तक में दिए गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित पी०डी०खाते के प्रशासक से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि [illegible] अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष बराबर है यदि कोई अंतर दृष्टिगोचर होता है तो अंतर की राशि का सत्यापन तत्काल किया जावे। कृपया पी०डी०खाते में जमा राशि का कोषालय से दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में मिलान कर ऑडिट को अवगत करावें।	अंकेक्षण दल के निर्देशानुसार पी.डी. पासबुक में जमा राशि का कोषालय से सत्यापन करवाकर आडिट को अवगत करा दिया जायेगा। संलग्न :– 01	यथावत्
7	**भुगतान की पावती न होने बाबत्** :– अंकेक्षण [illegible] से अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न राशियों के भुगतान की पावती उपलब्ध नहीं पाया गया–	निर्देशानुसार पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से [illegible] एवं शारीरिक कल्याण शुल्क की पावती हेतु पत्र प्रेषित किया गया है पावती प्राप्त होते ही आडिट को अवगत करा दिया जायेगा। संलग्न :– 1,2,3	यथावत्

क्र.	विवरण	चैक क्र० व दिनांक	राशि
1	पं०रविशंकर शुक्ल वि०वि०, रायपुर	200950/ 01.10.07	20050/-

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

2	प0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर	200849 / 01.10.07	3600 /–
3	प0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर	205124 / 06.12.07	520 /–
4	प0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर	205519 / 12.12.07	3440 /–
5	प0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर	227887 / 01.10.08	21100 /–

छ0ग0कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 306 के अनुसार समस्त भुगतान की पावतियां आवश्यक है। पावती के अभाव में भुगतान आडिट को मान्य नहीं है।

कृपया पावती प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें।

8	**ए0एफ0मद के लिए कैशबुक का संधारण न किए जाने बाबत** :– अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ए0एफ0मद के लिए कैशबुक का संधारण न किया जाकर एक ही कैशबुक में ए0एफ0 एवं पी0डी0 मद की राशि का संधारण किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है। इससे यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सका कि ए0एफ0मद में कितनी राशि प्राप्त हुई कितना व्यय हुआ एवं कितनी राशि शेष बचत है। नियमानुसार ए0एफ0 एव पी0डी0मद की राशि के लिए अलग–2 कैशबुक का संधारण किया जाना चाहिए। कृपया ए0एफ0 मद एवं पी0डी0 मद की राशि के लिए अलग–2 कैशबुक का संधारण कर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार ए.एफ. एवं पी.डी. मद की अलग–अलग कैशबुक संधारित कर अगली आडिट में प्रस्तुत की जायेगी।	यथावत ।
9	**सी.पी.एस.अंशदान कटौती का रजिस्टर संधारण बाबत**:– अंकेक्षण अवधि में महाविद्यालय में नव नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा	अंकेक्षण के निर्देशानुसार सेवापुस्तिका मे PRAN नबर की प्रविष्टी कर दी गई है 1.11.2004 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारियों की प्रतिमाहCPF कटौती की रजिस्टर संधारण कर लिया गया है अगली आडिट के समय प्रस्तुत किया जायेगा।	निराकृत ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, संचालनालय

	पुस्तिका का परीक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 01.11.2004 से लागू अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत इन्हें आबंटित पी.आर.ए.एन.की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं पाई गई। तथा एनेक्सचर-3 अनुसार एनेक्सचर-5 में इनके वेतन से प्रतिमाह काटी जाने वाली अंशदान की राशि के लिए लेजर का संधारण नहीं किया गया है। कृपया उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर आडिट को अवगत करावें।		
10	**जनभागीदारी मद से मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में** :— जनभागीदारी समिति मद के कैशबुक एवं वाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न सूची अनुसार राशि रूपये 3,97,848/— मजदूरी के भुगतान के लिए व्यय किया गया है। जनभागीदारी समिति के निधि के संचालन हेतु छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-73-6-96 सी-3-38 दिनांक 30.09.1996 के नियम (छ) अनुसार निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जावेगा। सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। नियम (झ) अनुसार समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगा, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी। अतः मजदूरी पर किया गया व्यय नियमानुसार नहीं होने के कारण आडिट को मान्य नही है। कृपया मजदूरी के लिए किए गये व्यय राशि रूपये 3,97,848/— की अनुमति/घटनोत्तर स्वीकृति शासन से प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें।	लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में लेख है जनभागीदारी मद से मजदूरी में किये गये भुगतान पर आपत्ति की गई है किन्तु उक्त अवधि में महाविद्यालय में एक मात्र भृत्य होने के कारण महाविद्यालयीन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु जनभागीदारी समिति की अनुशंसा से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी किन्तु शासन द्वारा कर्मचारियों के नियुक्त के पश्चात उक्त कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। अतः निवेदन है कि जनभागीदारी मद से मजदूरी के रूप में 397848/— रू. राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया गया है उक्त भुगतान की गई राशि की अनुमति प्रदाय कर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर आडिट आपत्ति का निराकरण करने की कृपा करें।	यथावत। संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

11	**जनभागीदारी समिति के बैंक खाते के संबंध में** जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि समिति का निम्न बैंकों में खाता खोला गया है— 1 भा0स्टे0बैंक,जगदलपुर— 10460910181 जनभागीदारी से शुल्क जमा एवं व्यय हेतु। 1 भारतीय स्टेट बैंक, जगदलपुर—30095039491— ज0भा0स0से विषय संचालन हेतु। इन खातों के लेन देन हेतु अलग–2 कैशबुक का संधारण किया गया है परन्तु व्हाउचर एक जाई रूप से रखा गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन सा व्हाउचर किस मद का है तथा किस खाते से व्यय किया गया है। कृपया पृथक–2 खाते से व्यय किए जाने वाली राशि का व्हाउचर का पृथक–2 रखा जा कर आडिट को अवगत करावे।	आडिट के निर्देशानुसार जनभागीदारी समिति से संचालित दोनों बैंक खाते के व्हाउचर को पृथक–पृथक सुव्यवस्थित कर सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया टीप कर आडिट निराकरण करने का कष्ट करें।	यथावत।
12(1)	**राशि की प्रविष्ठि कैशबुक में नही किए जाने बाबत्** :— अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया गया है परन्तु इसकी प्रविष्ठि कैशबुक निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया गया है परन्तु इसकी प्रविष्ठि कैशबुक में नहीं की गई है:— दिनांक — राशि 24.01.12 — 9100/— 18.02.12 — 7250/— 10.02.12 — 5700/— 29.03.12 — 21450/— 11.06.12 — 35500/— 11.06.12 — 12150/— 28.07.13 — 29900/—	1) आडिट के निर्देशानुसार कंडिका में लिखित राशि को कैशबुक में प्रविष्ठी कर लिया गया है। कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करेंगे।	निरस्त। संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

[illegible]
आडिट को अवगत करावें।

(2) निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया जाना नही पाया गया। यदि राशि कोषालय में जमा की गई है तो उसकी जमा पर्ची की प्रति उपलब्ध करावे अथवा संबंधित से राशि वसूल कर जमा किया जाकर आडिट को अवगत करावें-

डी०एफ०सी० पृ०क्रमांक व दिनांक	राशि
97/25.07.12	9600/-
98/25.07.12	9900/-
	9300/-
99/26.07.12	9900/-
99/30.07.12	9300/-
100/-03.09.12	1200/-
93/08.07.12से97/25.07.12	67200/-

2) आडिट के निर्देशानुसार कंडिका-12 (02) के संबध में लेख है कि आपके द्वारा उल्लेखित राशि लाल स्याही से लिखित कुलयोग राशि को दर्शाई गई है किन्तु नीली स्याही से लिखित कुलयोग राशि को दर्शाई नही गई है। जबकि शिक्षा सत्र 2012-13 में निम्नानुसार शुल्क विषय संचालन एवं जनभागीदारी मद में लेकर राशि बैंक में जमा किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि संयुक्त रूप से शुल्क लिये जाने के कारण जनभागीदारी खाते में त्रुटिवश 17400/- रू0 अधिक जमा की गई है एवं विषय संचालन खाते में 17404/- रू0 कम जमा हुई है उक्त राशि को विषय संचालन खाते में समायोजित कर दिया गया है एवं कम जमा हुई 4/- रू0 को जमा कर अन्य जमा पर्चीयो के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करें। प्राप्ति तथा जमा विवरण तथा जमा पर्ची अवलोकन हेतु संलग्न है:-

दिनांक	पे.क्र.	ज.भा. संयुक्त खाता (विषय संचालन)	ज.भा.	दिनांक	बैंक में जमा	
					10460910161	30085039409
10.7.12	92	53906	8400	12.7.12	8400	53906
11.7.12से 18.7.12	92 से 93तक	79950	17400	19.7.12	17400	78950
22.7.17से 25.7.17	94 से 97तक	(1)235277	67200	24.7.12	25000	100000
		(2)35160	9600	27.7.12	20000	90000
25.7.17	98	(1)22032	9900	1.8.12	38200	112713
		(2)24644	9300	7.8.12	18600	57724
26.7.17	99	36870	9900	4.9.12	32000	58000
30.7.12	99	76148	9300	20.11.12	900	14300
3.9.12	100	5710	1200			
19.11.12	100	14300	900			
योग		583997	143100		160500	566593

13 **जनभागीदारी समिति के मद से स्नेह सम्मेलन पर व्यय करने बाबत्:-**

अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से स्नेह सम्मेलन हेतु राशि रू0 8481/- व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्टि

जनभागीदारी निधी के व्यय संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी नही होने के कारण वार्षिक स्नेह सम्मेलन पर राशि 8481 रू0 का व्यय किया गया है। (कलेक्टर/अपर कलेक्टर के द्वारा जनभागीदारी के मद से व्यय किये जाने हेतु आदेशित किया गया था पत्र संलग्न है) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही की जायेगी कृपया टीप कर आडिट आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :-01

निरंक

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

	[illegible] गया है। छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निध के व्यय के संबंध में जारी निर्देश क्रमांक (छ) अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नही किया जावेगा। अतः उपरोक्त व्यय नियमानुसार नही है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।		
14	**ज0भा0 समिति के मद से न्यायायीन प्रकरण पर व्यय करने बाबत्** :– अंकेक्षण अवधि मे जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से श्री घनश्याम सिंह ठाकुर से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण हेतु राशि रू0 11000/– व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क्र0 395/25.08.14 पर किया गया है। छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के व्यय के संबंध मे जारी निर्देश क्रमांक (छ) अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। अतः उपरोक्त व्यय नियमानुसार नही है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार श्री घनश्याम सिंह ठाकुर के न्यायालयीन प्रकरण में पैरवी करने हेतु जनभागीदारी मद से 11000 रू0 की राशि व्यय किया गया है चुकि यह कार्य शासकीय (जनभागीदारी के अन्तर्गत) होने के कारण जनभागीदारी मद से व्यय किया गया है भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही की जायेगी कृपया आपत्ति को विलोपित करने का कष्ट करेंगे।	निरस्त संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

12	[illegible] समिति के मद से स्वल्पाहार पर व्यय करने बाबत् :- अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया किइस मद से स्वल्पाहार हेतु राशि रू0 2765/- व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्टि कैशबुक के सब व्हा0क्र0357/24.09.13 पर किया गया है। छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 73-6-96 सी-3-36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के व्यय के संबध म जारी निर्देश क्रमांक (छ) अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। अतः उपरोक्त व्यय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।	[illegible] व्यय की गई है किन्तु जनभागीदारी निधी के दिशा निर्देश की जानकारी नही होने के कारण व्यय की गई है भविष्य मे इस तरह की पुनरावृत्ति नही की जायेगी। कृपया आपत्ति विलोपित करने का कष्ट करेंगे।	यथावत। [signature] अपर संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

[signature]
PRINCIPAL
Govt. Danteshwari Mahila Mahavidhyalaya
JAGDALPUR

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक सी, द्वितीय एवं तृतीय तल इंन्द्रावती भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 305/522/आउशि/ऑडिट/2018 दिनांक 4.10.2019

प्रति,

प्राचार्य
शास. दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर
जिला–बस्तर (छ.ग.)

विषय– विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 05/2019 तक का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत ।

*****

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 05/2019 तक का पालन प्रतिवेदन संलग्न प्रेषित है ।

प्रतिवेदन का उत्तर निम्न प्रारूप में आड़ी शीट में तैयार किया जावे, संचालनालय की टीप हेतु पर्याप्त स्थान छोड़े एवं 07 दिवस के अंदर प्रेषित करें एवं एम.एस.वर्ड में टाइप कर सॉफ्ट कॉपी भी ई–मेल करें ।

प्रारूप

कण्डिका क्रमांक	कण्डिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	संचालनालय की टीप

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर

8 O/C

ललिता कश्यप,
for n.a.
5.10.19

252
05/10/19

PTO

Scanned by CamScanner

शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय,जगदलपुर जिला जगदलपुर के विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2017 से 05/2019 तक

प्रस्तावना:- शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय,जगदलपुर जिला जगदलपुर अवधि 04/2017 से 05/2019 तक के अभिलेखों का [illegible] विभागीय अंकेक्षण [illegible] 05.08.2019 से 07.08.2019 तक विभागीय अंकेक्षण दल के श्री [illegible] एवं श्री आर0पी0शुक्ला,सहायक वर्ग 1 द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे

1	प्राचार्य	डॉ0 [illegible] शुक्ला	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		श्रीमती [illegible]	[illegible]
2	कोषाधिकारी	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	श्रीमती [illegible]	[illegible]
		श्री [illegible]	[illegible]
4	मुख्य लिपिक		
5	लेखापाल		
6	कैशियर		
7	स्टोर प्रभारी	श्रीमती [illegible]	[illegible]
		श्री [illegible]	[illegible]
		श्री [illegible]	[illegible]

पूर्व में किए गये अंकेक्षण की स्थिति :- शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर जिला जगदलपुर के अभिलेखों का महालेखाकार, [illegible] एवं पेंशन [illegible] द्वारा किए गए अंकेक्षण की स्थिति निम्नानुसार है

क्रमांक	आडिट का प्रकार	आडिट की अवधि	प्रतिवेदन का उत्तर भेजने का क्रमांक व दिनांक	[illegible] की संख्या
1	महालेखाकार			
2	[illegible] एवं पेंशन			
3	विभागीय	10/07 से 03/17	243/2016 17	

नगदी शिलक का भौतिक सत्यापन : शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर जिला जगदलपुर द्वारा संधारित कैशबुक में [illegible] अंतिम शिलक की [illegible] नगदी राशि से सत्यापन किया गया जो निम्नानुसार है

Scanned by CamScanner

क्र.	कैशबुक का प्रकार	कैशबुक पृष्ठ क्रमांक व दिनांक	कैशबुक में अंतिम शिलक	वेरीफाई में पाई गई राशि
1	शासकीय कैशबुक	[illegible]	00 00	00 00
2	पी.डी.कैशबुक	[illegible]	73692 00	73692 00
3	[illegible] कैशबुक	[illegible]	00-00	00-00
4	जनभागीदारी समिति	[illegible]	216 00	216 00
5	[illegible]	[illegible]	00 00	00 00
	योग		73908 00	73908 00

कंडिका क्रमांक 01 प्रतिभूति की राशि जमा कराये जाने बाबत् : वित्त संहिता भाग एक के नियम 282 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत भण्डार प्रभारी, लेखापाल, कैशियर, स्टोर प्रभारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों से प्रतिभूति की राशि जमा कराया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में कार्यरत उपरोक्त कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि परिपक्व होने के कारण लौटा दी गई है तथा उनसे पुनः नहीं ली गई। कृपया संबंधितों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि रु. 1000.00 जमा कराया जाकर आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका क्र0 02 : चालानों का सत्यापन न कराये जाने बाबत् :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय में जमा किए जाने वाली राशियों का चालान रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है और न ही कोषालय में जमा किए जाने वाले चालानों का सत्यापन कोषालय से कराया गया है।

म0प्र0कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम 53(5) में यह प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय राशि जब कोषालय में जमा कराई जाती है तब जमा राशि के चालान की मूलप्रति को कैशबुक में दर्ज करने के पूर्व कोषालय / बैंक में राशि जमा होने बाबत् पूर्णतः संतुष्ट होने पर कैशबुक में प्रविष्टि को प्रमाणित करना चाहिए। कोषालय में जमा राशि का मिलान नहीं किया जाना अथवा लंबे अंतराल बाद किया जाना नियमों के प्रतिकूल तथा यह गंभीर लापरवाही का प्रतीक है । अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि कोषालय / बैंक में चालान द्वारा जमा राशियों का मिलान कोषालय / बैंक के अभिलेखों से कर यह सुनिश्चित किया जावे कि शासकीय धनराशि वास्तव में शासकीय कोष में जमा हो गई है।

कंडिका क्र0 03 : कॉशनमनी की राशि राजसात किए जाने बाबत्

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से कॉशनमनी ली जाती है तथा उनको महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांगे जाने पर लौटाया जाता है, तथा जो राशि नहीं लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए ।

सत्र 2017-18 से कॉशनमनी की राशि को राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है । कृपया कॉशनमनी की राशि का वर्षवार गणना कर नियमानुसार राजसात किया जावे तथा राजसात राशि को कोषालय में जमा किया जाकर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें।

Scanned by CamScanner

कंडिका–4– ए0 एफ0 मद की राशि का रिजर्व फंड में जमा न करने बावत् :–

ए0 एफ0 नियम 14 के अनुसार ए0एफ0मद में प्राप्त राशि एवं 30 जून तक व्यय न किए जा सके ऐसी अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा किया जाना चाहिए ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में ए0एफ0मद में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत राशि एवं 30 जून को शेष अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा नहीं किया गया है । अतः ऐसी राशि की गणना वर्षवार किया जाकर उसे रिजर्व फंड में जमा किया जा कर आडिट को अवगत करावे ।

कंडिका–05:–अनुपयोगी सामग्रियों के अपलेखन के संबंध में:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय के स्टोर एवं विभागों में उपलब्ध सामग्रियों का भौतिक सत्यापन 31.03.18 की स्थिति में किया गया है। भौतिक सत्यापन समिति की अनुशंसा के आधार टूट–फूट एवं अनुपयोगी सामग्रियों का नियमानुसार अपलेखन की कार्यवाही किया जावे तथा विक्रय योग्य सामग्रियों का विक्रय कर इनसे प्राप्त राशि को कोषालय में जमा किया जाकर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें।

कंडिका क0–06 :– स्वाध्यायी छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के संबंध में:–

अंकेक्षण अवधि मे स्वाध्यायी छात्रों से ली जाने वाली शुल्क की जानकारी मेमो क्रमांक 05 दिनांक 06.08.19 द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया था । प्राचार्य ने मेमों के जवाब मे लेख किया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है,परन्तु जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। कृपया निर्धारित प्रपत्र में जानकारी आडिट को उपलब्ध करावें।

(हस्ताक्षर) 2018/19
आर0पी0शुक्ला
सहायक वर्ग–1

(हस्ताक्षर) 20/8/19
अधीक्षक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर,रायपुर–छ0ग0

Scanned by CamScanner

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर

Phone : 07782-225216 (O), College Code – 2202,E-Mail ID – govt.dmcjdp@gmail.com

क्र0/45/स्था0/2020/ जगदलपुर, दिनॉक 20/05/2020

प्रति,

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनाय,
ब्लाक–3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्दावती भवन,
नवा रायपुर (छ0ग0)

विषय :– विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 05/2019 तक का पालन प्रतिवेदन प्रेषित्त करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0/305/522/आउशि/आडिट/2018 रायपुर, दिनांक 04.10.2019

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि तक की कडिंकावार उत्तर संलग्न प्रारुप में भरकर दो प्रतियों में उचित कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संलग्न :– दो प्रति

प्रभारी प्राचार्य
शा0दन्ते0स्नातको0महि0महाविद्यालय
जगदलपुर

// प्रपत्र //

कंडिका क्र0	कंडिका की नकल	तत्कालीन प्राचार्य का विस्तृत उत्तर	संचालनालय की टीप
01	**प्रतिभूति की राशि जमा कराये जाने बाबत् :–** वित संहिता भाग एक के नियम 282 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत ग्रंथपाल क्रीडाधिकारी लेखापाल कैशियर स्टोर प्रभारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों से प्रतिभूति की राशि जमा कराया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में कार्यरत उपरोक्त कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि परिपक्व होने के कारण लौटा दी गई है तथा उनसे पुनः नहीं ली गई । कृपया संबंधितों से नियमानुसार प्रतिभुति की राशि रु. 1000.00 जमा कराया जाकर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारीयों से प्रतिभूति राशि 1000/–रु. कार्यालय में जमा कर उसकी छायाप्रति संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतू प्रस्तुत है, कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करेंगे। संलग्न :– 1, 2	
02	**चालानों का सत्यापन न कराये जाने बाबत् :–** अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय में जमा किए जाने वाली राशियों का चालान रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है और न ही कोषालय में जमा किए जाने वाले चालानों का सत्यापन कोषालय से कराया गया है। छ0ग0 कोषालय संकिता भाग 1 के सहायक नियम53(5) में यह प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय राशि जब कोषालय में जमा कराई जाती है तब जमा राशि के चालान की मूलप्रति को कैशबुक में दर्ज करने के पूर्व कोषालय/बैंक में राशि जमा होने बाबत् पूर्णतः संतुष्ट होने पर कैशबुक में प्रविष्ठि को प्रमाणित करना चाहिए। कोषालय में जमा राशि का मिलाननहीं किया जाना अथवा लंबे अंतराल बाद किया जाना नियमों के प्रतिकूल तथा यह गंभीर लापरवाही का प्रतिक है। अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि कोषालय/बैंक में चालान द्वारा जमा राशियों का मिलान कोषालय/बैंक के अभिलेखों से कर यह सुनिश्चित किया जावें कि शासकीय धनराशि वास्तव में शासकीय कोष में जमा हो गई है।	शासकीय/अशासकीय चालान को कोषालय द्वारा सत्यापित किये जाने हेतु चालान रजिस्टर संधारित किया गया है। रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतू प्रस्तुत है कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करेंगे। संलग्न :– 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	

	काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बाबत :– महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से काशनमनी ली जाती है तथा उनके महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांगे जाने पर लौटाया जाता है, तथा जो राशि नहीं लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए। सत्र 2017–18 से काशनमनी की राशि को राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। कृपया काशनमनी की राशि का वर्षवार गणना कर नियमानुसार राजसात किया जावे तथा राजसात राशि को कोषालय में जमा किया जाकर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें।	निर्देशानुसार काशनमनी की राशि वर्ष 2003–04 से 15–16 तक वर्षवार गणना कर राजसात कर चालान की छायाप्रति सलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने करने का कष्ट करेंगे। सलग्न :– 10	
04	एoएफo मद की राशि का रिजर्व फंड में जमा न करने बाबत :– एoएफo नियम–14 के अनुसार एoएफoमद में प्राप्त राशि एवं 30 जून तक व्यय न किए जा सके ऐसी अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में एoएफoमद में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत राशि एवं 30 जून को शेष अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा नहीं किया गया है। अत: देसी राशि की गणना वर्षवार किया जाकर उसे रिर्जव फंड में जमा किया जा कर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार 30 जून तक व्यय न किये गये ए एफ मद की 5 प्रतिशत एवं शेष बचत अव्ययित राशि की वर्षवार गणना कर रिर्जव फंड मे जमा कर पावती की छायाप्रति संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतू प्रस्तुत है कृपया आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करेंगे। संलग्न –11	
05	अनुपयोगी सामग्रियों केअपलेखन के संबंध में :– अंकेक्षण केदौरान पाया गया कि महाविद्यालय के स्टोर एवं विभागों में उपलब्ध सामग्रियों का भैकित सत्यापन 31.03.18 की स्थिति में किया गया है। भौतिक सत्यापन समिति की अनुशंसा के आधार पर टूट–फूट एवं अनुपयोगी सामग्रियों का नियमानुसार अपलेखन की कार्यवाही किया जावे तथा विक्रय योग्य सामाग्रियों का विक्रय कर इनसे प्राप्त राशि को कोषालय में जमा किया जाकर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें।	निर्देशानुसार अनुपयोगी सामग्री (रद्दी पेपर) को विक्रय कर प्राप्त राशि को कोषालय में जमाकर चालान की छायाप्रति संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है, कृपया टीप अंकित कर आडिट निराकरण करने का कष्ट करें। संलग्न –12	

स्वध्यायी छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के संबंध में:– अंकेक्षण अवधि में मेमो क्रमांक 05 दिनांक 06.08.19 द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया था। प्राचार्य ने मेमों के जवाब में लेख किया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है परन्तु जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। कृपया निर्धारित प्रपत्र में जानकारी आडिट को उपलब्ध करावें।

आडिट के निर्देशानुसार स्वाध्यायी छात्राओं द्वारा ली गई प्रायोगिक शुल्क की कक्षावार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित कि जा रही है कृपया टीप अंकित कर आपत्ति निराकरण कर करने का कष्ट करेंगे।

क्र.	सत्र	कक्षावार छात्र संख्या	शुल्क की राशि	शासकीय कोष में जमा कराई गई राशि
1	2	3	4	5
1	2018–19	B.A.I -04 B.A.II-01 B.A.III-07 B.H.Sc. I- 01 B.Sc.I-55	275	18700

परिचारक / तकनीशियन / सहा0प्रा / वितरित की जाने वाली राशि	काशनमनी की राशि	वपस लौटाइ गई राशि
6	7	8
6800	6800	–

प्रभारी प्राचार्य
शा0दन्ते0स्नातको0महि0महाविद्यालय
जगदलपुर

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र.56/ / /आउशि/आडिट/2020 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 18/6/2020

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय
जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

विषयः– **विभागीय अंकेक्षण अवधि 04/2017 से 05/2019 तक का प्रेषण।**

संदर्भः– **आपका पत्र क्रमांक 45/स्था./2020, दिनांक 20.05.2020**

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय का विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि **04/2017 से 05/2019** तक में विभागीय टीप अंकित कर प्रेषित है।

उक्त प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 01, 03, 04 एवं 05 निराकृत तथा कंडिका क्रमांक 02 एवं 06 यथावत हैं । लंबित कंडिका के निराकरण हेतु समाधान कारक उत्तर सहपत्रों सहित पालन प्रतिवेदन दो प्रतियों में 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. एच.एस.कर)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

लेखा शाखा,
file करें
18.6.2020

Inward No. 71
Date 18/06/20
JAGDALPUR

// प्रपत्र //

*कंडिका की नकल	तत्कालीन प्राचार्य का विस्तृत उत्तर	संचालनालय की टीप
प्रतिभूति की राशि जमा करायें जाने बाबत् – वित्त संहिता भाग एक के नियम 282 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत ग्रंथपाल क्रीडाधिकारी लेखापाल कैशियर स्टोर प्रभारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों से प्रतिभूति की राशि जमा कराया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में कार्यरत उपरोक्त कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि परिपक्व होने के कारण लौटा दी गई है तथा उनसे पुनः नहीं ली गई । कृपया संबंधितों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि रु 1000.00 जमा कराया जाकर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारीयों से प्रतिभूति राशि 1000/–रु कार्यालय में जमा कर उसकी छायाप्रति संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतू प्रस्तुत है, कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करेंगे। संलग्न – 1, 2	निर्णित
चालानों का सत्यापन न करायें जाने बाबत् :– अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालय में जमा किए जाने वाली राशियों का चालान रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है और न ही कोषालय में जमा किए जाने वाले चालानों का सत्यापन कोषालय से कराया गया है। छ0ग0 कोषालय संहिता भाग 1 के सहायक नियम53(5) में यह प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय राशि जब कोषालय में जमा कराई जाती है तब जमा राशि के चालान की मूलप्रति को कैशबुक में दर्ज करने के पूर्व कोषालय/बैंक में राशि जमा होने बाबत् पूर्णतः संतुष्ट होने पर कैशबुक में प्रविष्ठि को प्रमाणित करना चाहिए। कोषालय में जमा राशि का मिलाननहीं किया जाना अथवा लंबे अंतराल बाद किया जाना नियमों के प्रतिकूल तथा यह गंभीर लापरवाही का प्रतिक है। अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि कोषालय/बैंक में चालान द्वारा जमा राशियो का मिलान कोषालय/बैंक के अभिलेखों से कर यह सुनिश्चित किया जावें कि शासकीय धनराशि वास्तव में शासकीय कोष में जमा हो गई है।	शासकीय/अशासकीय चालान को कोषालय द्वारा सत्यापित किये जाने हेतु चालान रजिस्टर संधारित किया गया है। रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतू प्रस्तुत है कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करेंगे। संलग्न – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	निर्णित आगामी अंकेक्षण दल को अवलोकन पश्चात निर्णय लिया जायेगा।

Additional Director
Directorate of Higher Education
Naya Raipur (C.G.)

अस्थायी छात्रों [illegible] जाने वाली शुल्क के संबंध में [illegible] अवधि में [illegible] 05 दिनांक 06.08.19 द्वारा [illegible] कराये जाने हेतु [illegible] गया था। प्राचार्य ने मेमो के जवाब में लेख किया गया कि निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है परन्तु जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। कृपया निर्धारित प्रारूप में जानकारी ऑडिट को उपलब्ध करावें।

ऑडिट के निर्देशानुसार स्वाध्यायी छात्राओं द्वारा ली गई प्रायोगिक शुल्क की कक्षावार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित कि जा रही है कृपया टीप अंकित कर आपत्ति निराकरण कर करने का कष्ट करेंगे।

क्र.	सत्र	कक्षावार छात्र संख्या	शुल्क की राशि	शासकीय कोष में जमा कराई गई राशि
1	2	3	4	5
1	2018—19	B.A.I -04 B.A.II-01 B.A.III-07 B.H.Sc. I- 01 B.Sc.I-55	275	18700

परिचारक / तकनीशियन / सहा0प्रा / वितरित की जाने वाली राशि	काशनमनी की राशि	वपस लौटाइ गई राशि
6	7	8
6800	6800	—

आगामी अंकेक्षण दल आने पर अवलोकन कराने पश्चात् निराकरण लिया जायेगा।

Additional Director
Directorate of Higher Education
Naya Raipur (C.G.)

प्रभारी प्राचार्य
शा0दन्ते0स्नातको0महि0महाविद्यालय
जगदलपुर

Rule—123

CASH BOOK

Office of the ——————

Month of ——————

RECEIPTS

Date (1)	No. of receipts where necessary (2)	Particulars (3)	Pay (4) Rs. p.	Allowances (5) Rs. p.	Contingencies: In recoupment of permanent advance (6) Rs. p.	Contingencies: Advance payments (7) Rs. p.	Miscellaneous (8) Rs. p.	Total (9) Rs. p.	Classification (10)
2/3/16		[illegible]	—	—				NIL	
	95	Amount Received from Bank vide Bill No 83/14-3-16	—	—	—	[illegible]	—	[illegible] Principal	
	96	Amount Received from Bank vide Bill No 83/14-3-16	—	—	—	10000.00	—	10000.00 Principal	
	94	Amount Received from Bank vide Bill No 84/14-3-16	—	—	—	3750.00	—	3750.00 Principal	
	97	Amount Received from Bank vide Bill No 85/14-3-16	—	—	—	11000.00		11000.00 Principal	
	98	Amount Received from Bank vide Bill No 86/14-3-16	—	—	—	[illegible]	—	[illegible] Principal	
	99	Amount Received from Bank vide Bill No 87/16-3-16	—	—	—	[illegible]	—	[illegible] Principal	
	100	Amount Received from Bank vide Bill No 88/15-3-16	—	—	—	14000.00	—	14000.00 Principal	
	101	Amount Received from Bank vide Bill No 89/15-3-16	—	—	—	4989.00	—	4989.00 Principal	
		Received	—	—	—	[illegible]		[illegible]	
		P.B. Bal.	—	—	—			—	
		Total	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	

Total Checked & Found correct.

PAYMENTS

Date (11)	Sub-voucher Number (12)	Particulars (13)	Pay (14) Rs. p.	Allowances (15) Rs. p.	Contingencies: Paid in Permanent advance (16) Rs. p.	Contingencies: Out of money drawn in anticipation of payment (17) Rs. p.	Miscellaneous (18) Rs.	Total (19) Rs. p.	Classification (20)
3/3/16	122	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	123	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	124	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	125	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	126	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	127	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	128	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	129	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	130	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	131	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	132	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	133	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	134	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	135	[illegible]	—	—	—	150.00	—	150.00	[illegible]
	136	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	137	[illegible]	—	—	—	150.00	—	150.00	[illegible]
	138	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	139	[illegible]	—	—	—	300.00	—	300.00	[illegible]
	140	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	141	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	142	[illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
	143	[illegible]	—	—	—	250.00	—	250.00	[illegible]
	144	[illegible]	—	—	—	150.00	—	150.00	[illegible]
	145	[illegible]	—	—	—	1400.00	—	1400.00	[illegible]
	146	[illegible]	—	—	—	140.00	—	140.00	[illegible]
	147	[illegible]	—	—	—				
		Expenditure	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	
		C.B. Balance	—						
		Total	—			[illegible]		[illegible]	

Total Checked & Found correct.

CASH BOOK

Office of the ____________ Month of ____________

RECEIPTS

Date (1)	No. of receipts where necessary (2)	Particulars (3)	Pay (4) Rs. p.	Allowances (5) Rs. p.	Contingencies: In reimbursement of permanent advance (6) Rs. p.	Contingencies: Advance payments (7) Rs. p.	Miscellaneous (8) Rs. p.	Total (9) Rs. p.	Cash Bearing (10)
17-3-17		Opening Balance	—	—	—	—	—	Nil	
	112	Amount Received from Bank vide Bill No. 98/7-3-17	—	9765.00	—	—	—	9765.00	
	113	Amount Received from Bank vide Bill No. 99/7-3-17	53[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]	
		Expenditure	[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]	
		c/o Balance	—			—	—	—	
		G. Total	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
20-3-17		Opening Balance	—	—	—	—	—	Nil	
	114	Amount Received from Bank vide Bill No. 107/20-3-17	63000.00	—	—	—	—	63000.00	
	115	Amount Received from Bank vide Bill No. 108/20-3-17	—	—	—	28359.00	—	28359.00	
	116	Amount Received from Bank vide Bill No. 109/20-3-17	—	—	—	800.00	—	800.00	
		Received	[illegible]	—		29159.00	—	[illegible]	
		Due Balance							
		G. Total	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

Total checked & found correct.

PAYMENTS

Date (11)	Voucher Number (12)	Particulars (13)	Pay (14) Rs. p.	Allowances (15) Rs. p.	Contingencies: Out of Permanent advance (16) Rs. p.	Contingencies: Out of moneys drawn in anticipation of payment (17) Rs. p.	Miscellaneous Rs. p.	Total (19) Rs. p.	Disbursement (20)
8-3-17	169	Amount Deposited to [illegible] Bill No. 98/7-3-17 [illegible] Total – 9765/-	—	9765.00	—	—	—	9765.00	Principal
	170	Amount Deposited to [illegible] Bill No. 99/7-3-17	[illegible]	—	—	—	—	[illegible]	
		Expenditure	5390.00	9765.00	—	—	—	[illegible]	
		c/o Balance	—	—	—	—	—	—	
		G. Total	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
20-3-17	171	Amount Deposited to [illegible] Bill No. 107/20-3-17; 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] Total – [illegible]	63000.00	—	—	—	—	63000.00	Principal
	172	Paid to [illegible] Bill No. 12488/4-3-17	—	—	—	4786.00	—	4786.00	
	173	Paid to [illegible] Publication Bill No. 12489/4-3-17	—	—	—	23574.00	—	23574.00	Principal
	174	Paid to [illegible] Bill No. 6745/[illegible]	—	—	—	800.00	—	800.00	
		Expenditure	[illegible]			29159.00	—	[illegible]	
		c/o Balance							
		G. Total				29159.00		[illegible]	

Total checked & found correct.

PRINCIPAL

Form-125

CASH BOOK

C.G.T.C.5 (See Subsidiary Rule 11)

02

Office of the ____________

Month of ____________

RECEIPTS

Date (1)	No. of receipts where necessary (2)	Particulars (3)	Pay (4) Rs. p.	Allowances (5) Rs. p.	Contingencies: In reimbursement of permanent advance (6) Rs. p.	Contingencies: Advance payments (7) Rs. p.	Miscellaneous (8) Rs. p.	Total (9) Rs. p.	Classification (10)
19-3-18		Opening Bal.	—	—	—	—	—	Nil	
	147	Amount Received from Bank vide Bill No-152/19-3-18	—	—	—	30011=00	—	30011=00	Principal
	148	Amount Received from Bank vide Bill No-153/19-3-18	—	—	—	29989=00	—	29989=00	Principal
	149	Amount Received from Bank vide Bill No 154/19-3-18	—	—	—	39416=00	—	39416=00	Principal
	150	Amount Received from Bank vide Bill No-155/19-3-18	—	—	—	3150=00	—	3150=00	Principal
	151	Amount Received from Bank vide Bill No-156/19-3-18	—	—	—	1100=00	—	1100=00	Principal
	152	Amount Received from Bank vide Bill No-157/19-3-18	—	—	—	2200=00	—	2200=00	Principal
	153	Amount Received from Bank vide Bill No 158/19-3-18	—	—	—	3722=00	—	3722=00	Principal
	154	Amount Received from Bank vide Bill No 159/19-3-18	—	—	—	3995=00	—	3995=00	Principal
		Receipt &	—	—	—	113593=00	—	113593=00	
		Rec Bal.	—	—	—	—	—	—	
		& Total	—	—	—	113593=00	—	113593=00	

Total Checked & Found correct

PAYMENTS

Date (11)	Sub-voucher Number (12)	Particulars (13)	Pay (14) Rs. p.	Allowances (15) Rs. p.	Contingencies: Out of Permanent advance (16) Rs. p.	Contingencies: Out of money drawn in anticipation of payments (17) Rs. p.	Miscellaneous (18) Rs. p.	Total (19) Rs. p.	Classification (20)
28-3-18	204	Paid to M/s Ali ... Bill No 508/28-2-18	—	—	—	30011=00	—	30011=00	Principal
	205	Paid to Mahesh Suppliers JDP Bill No ...37/1-3-18	—	—	—	29989=00	—	29989=00	Principal
	206	Paid to Unique Enterprises JDP Bill No-164/3-3-18	—	—	—	39416=00	—	39416=00	Principal
	207	Paid to ... Suppliers JDP Bill No 1033/...	—	—	—	3150=00	—	3150=00	Principal
	208	Paid to ... Suppliers JDP Bill No 1036/30-2-18	—	—	—	1100=00	—	1100=00	Principal
	209	Paid to ... Suppliers JDP Bill No 1034/	—	—	—	2200=00	—	2200=00	Principal
	210	Paid to Chikhaliya Enterprises JDP Bill No-INV503 Date 27-2-18	—	—	—	3722=00	—	3722=00	Principal
	211	Paid to Chikhaliya Enterprises JDP Bill No INV2036/27-2-18	—	—	—	3995=00	—	3995=00	Principal
		Expenditure	—	—	—	113584=00	—	113584=00	
		& Balance	—	—	—	—	—	—	
		& Total	—	—	—	113593=00	—	113593=00	

Total Checked & Found correct

PRINCIPAL
Govt. ... JAGDALPUR

CASH BOOK

Office of the ____________ Month of ____________

RECEIPTS

Date	No. of receipt when necessary	Particulars	Pay	Allowances	Contingencies: Out of permanent advance	Contingencies: Advance payment	Miscellaneous	Total	Classification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Amount Received							
		Amount Received from Bank vide [illegible]							Principal
		Amount Received from Bank vide Bill no [illegible]				[illegible]		1473.00	Principal
		Amount Received from Bank vide Bill no [illegible]				[illegible]		3780.00	Principal
		Amount Received from Bank vide Bill no [illegible]				8370.00		8370.00	Principal
		Amount Received from Bank vide Bill no [illegible]				5594.00		5594.00	Principal
		Amount Received from Bank vide Bill no [illegible]				[illegible]		[illegible]	Principal
						[illegible]		[illegible]	
		Balance [illegible]				[illegible]		[illegible]	

PRINCIPAL
Govt. Danteshwari Mahila Mahavidyalay
JAGDALPUR

PAYMENTS

Date	Voucher Number	Particulars	Pay	Allowances	Contingencies: Out of Permanent advance	Contingencies: Out of money drawn in anticipation of payments	Miscellaneous	Total	Classification
(12)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Paid to BSNL JDP Bill no [illegible]	—	—	—	375.00	—	375.00	Principal
						247.00		247.00	Principal
		Paid to BSNL JDP Bill no [illegible] 30/6-2-19	—	—	—	1199.00		1199.00	Principal
	155	Paid to BSNL JDP Bill no [illegible] Date 5.3.19	—	—	—	494.00		494.00	Principal
	156	Paid to BSNL JDP Bill no [illegible] Date 5.3.19	—	—	—	3780.00		3780.00	Principal
	184	Paid to C.M.G.B. JDP Bill no [illegible]	—	—	—	8370.00		8370.00	
	185	Paid to CMGB JDP Bill no [illegible]	—	—	—	5594.00		5594.00	
	184	Paid to CMGB JDP Bill no [illegible]	—	—	—	[illegible]	—	[illegible]	
	186	Paid to CGEB JDP Bill no [illegible] Date 5.10.19							
						[illegible]		[illegible]	
		[illegible]							
		c/o [illegible]				[illegible]		[illegible]	
		(in Total)							

PRINCIPAL
Govt. Danteshwari Mahila Mahavidyalay
JAGDALPUR

CASH BOOK

C.G.T.C.5
(See Subsidiary Rule 53)

Office of the ——————   Month of ——————

66

RECEIPTS

Date (1)	No. of receipts where necessary (2)	Particulars (3)	Pay (4) Rs. P.	Allowances (5) Rs. P.	Contingencies: In recoupment of permanent advance (6) Rs. P.	Contingencies: Advance payments (7) Rs. P.	Miscellaneous (8) Rs. P.	Total (9) Rs. P.	Classification (10)
2.3.2020		Closing Bal.						Nil	
	129	Amount Received from Bank vide Bill No.-164/2.3.2020					606744-00	606744-00	Principal
		Received					606744-00	606744-00	
		Bal.							
		Total					606744-00	606744-00	
13.3.2020		Closing Bal.						Nil	
	130	Amount Received from Bank vide Bill No.-168/13.3.2020				14460-00		14460-00	Principal
	131	Amount Received from Bank vide Bill No.-169/13.3.2020				10000-00		10000-00	Principal
	132	Amount Received from Bank vide Bill No.-170/13.3.2020	192000-00					192000-00	Principal
	133	Amount Received from Bank vide Bill No.-171/13.3.2020	810000-00					810000-00	Principal
		Received	[illegible]			24460-00		[illegible]	
		Bal.							
		Total	[illegible]			24460-00		[illegible]	

Total [illegible] in figures 2020 ... Principal
PRINCIPAL Govt. Dantreshwari Mahila Mahavidyalaya JAGDALPUR

PAYMENTS

Date (11)	Sub-voucher Number (12)	Particulars (13)	Pay (14) Rs. P.	Allowances (15) Rs. P.	Contingencies: Out of Permanent advance (16) Rs. P.	Contingencies: Out of money drawn in anticipation of payments (17) Rs. P.	Miscellaneous (18) Rs. P.	Total (19) Rs. P.	Classification (20)
2.3.2020	194	Amount Deposited to [illegible] vide Bill No.164/2.3.2020					606744-00	606744-00	Principal
		Expenditure					606744-00	606744-00	
		C/o Bal.							
		Total					606744-00	606744-00	
13.3.2020	195	Paid to BSNL JDP Bill No.-[illegible] [illegible]/4-3-2019				293-00		293-00	Principal
	196	Paid to BSNL JDP Bill No.-[illegible] [illegible] 4-3-2020				1167-00		1167-00	Principal
	197	Paid to CGEB JDP Bill No.-[illegible] Date-12-3-2020				10000-00		10000-00	Principal
	198	Amount Deposited to [illegible] Bill No.-170/12-3-2020	192000-00					192000-00	Principal
		[illegible] Patel - 19200/- ; [illegible] - 19200/- ; [illegible] Begum - 19200/- ; Anju Patel - 19200/- ; [illegible] Shukla - 19200/- ; [illegible] - 19200/- ; [illegible] Thakur - 19200/- ; [illegible] - 19200/- ; [illegible] - 19200/- ; [illegible] - 19200/- ; Total 192000/-							
	199	Amount Deposited to [illegible] Bill No.-171/12-3-2020	810000-00					810000-00	Principal
		[illegible] - 18000/- ; [illegible] Shukla - 19200/- ; [illegible] - 9600/- ; [illegible] - 19200/- ; [illegible] Patel - 19200/- ; Total - 81000/-							
		Expenditure	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
		C/o Bal.							
		Total	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

Total [illegible] in figures 2020
PRINCIPAL Govt. Dantreshwari Mahila Mahavidyalaya JAGDALPUR

STATEMENT OF ACCOUNTS AND AUDIT REPORT

FOR THE PERIOD: 01.04.2015 TO 20.12.2017

NAME : RASTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)
GOVT. DANTESHWARI P.G. COLLEGE JAGDALPUR

ADDRESS : JAGDALPUR
DIST: BASTAR (C.G.)

ANAND JIMNANI & ASSOCIATES

Chartered Accountants

Arvind kaushik
Kaushik Chamber,
SBI Road Balaji ward
Jagdalpur (C.G)
Tele.07782-225501

AUDITOR'S REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of **RASTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA), GOVT DANTESHWARI P.G. COLLEGE JAGDALPUR DIST. BASTAR (C.G.)** for the Period on 01.04.2017 to 20.12.2017, and also Receipt and Payment and Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These Financial Statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standard require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting Principal used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement Presentation. We believe that our audit Provides a reasonable basis for our opinion.

We report that :-

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge necessary for the purpose of audit.
2. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the division, so far as appears from our examination of those books.
3. The receipts and Payment account dealt with by this report is in agreement with the books of account.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said account give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

For Anand Jimnani and Associates
Chartered Accountants

JAGDALPUR (C.G.)

Arvind Kaushik
Partner
M.No.401390
FRN 009604C

Place: Jagdalpur
Date: 20.12.2017

RASTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)
GOVT. DANTESHWARI P G COLLEGE JAGDALPUR DIST. BASTAR (C.G.)
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD 01.04.2015 TO 20.12.2017

RECEIPT		AMOUNT	PAYMENT		AMOUNT
To Opening balance			By Meeting to Discos Institutional Problems & Performance		0.00
Cash in hand	0.00		" Bank Charges		17.00
Cash at bank	0.00	0.00	" Motivational interaction with 11th & 12 th Level Students of Higher Secondary		0.00
" Grant received from State Govt. High Education Department			" Programme to make positive institutional environment for Higher Education		
Preparatory Exp	100000.00		" Workshop on Quality enhancement data Maintenance CBCS & Semester System		42182.00
Building	10650000.00	10750000.00	" Meeting on New Education Policy (Block and District level)		0.00
" Bank Saving Interest		18910.00	" TA of Deferent Meeting regarding RUSA		14810.00
			" Transferred to PWD (Agginest for Building Construction)		10650000.00
			" Furnitures & Fixtures purchased		40425.00
			" Closing balance		
			Cash in hand	0.00	
			Cash at bank		
			Canara Bank - 100543874	21496.00	21496.00
TOTAL RUPEES		10768910.00	TOTAL RUPEES		10768910.00

As per our report of even date
FOR, ANAND JIMNANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(Stamp: ANAND JIMNANI & ASSOCIATES, JAGDALPUR (C.G.), CHARTERED ACCOUNTANTS)

ARVIND KAUSHIK
PARTNER
M No 401390
FRN 009604C

PLACE: JAGDALPUR
DATE: 20-12-2017

R

S TATEMENT OF ACCOUNTS
AND
AUDIT REPORT

U.G.C. REPORT

NAME :GOVT. DANTESHWARI GIRLS COLLEGE JAGDALPUR

NAME OF THE SCHEME: MINORE RESEARCH PROJECT (XIIth Plan)

ADDRESS : JAGDALPUR
DIST: BASTAR (C.G.)

ANAND JIMNANI & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Arvind Kaushik
Kaushik Chamber,
SBI Road Balaji ward
Jagdalpur (C.G)
Tele.07782-225501

GOVT. DANTESWARI GIRLS COLLEGE , JAGDALPUR
DIST. BASTAR (C.G.)

Statement of Income and Expenditure Account of (UGC) BOOKS

Name of the College : Govt. Danteswari Girls College Jagdalpur

Sanction order No. F NO. MH-82/202047/XII/14-15-CRO 04.02.2015

Name of the scheme : Minor Research Project

Date	Particulars of Bank Draft No. & Date	Amount	Cash Book Page No.	Cash Book Page No.	Particulars	Bill No./ DD No. & Date	Amount
					BOOKS & JOURNALS		
04.08.2015	SBI RTGS 10456203167 04/08/2015	205000.00	35	43	Patrakar prakashan pvt ltd raipur	966227 dtd 27/09/2017	450.00
					Rajkamal prakashan pvt ltd new delhi	966228 dtd 27/09/2017	900.00
					Sahyatra prakashan pvt ltd	966229 dtd 27/09/2017	700.00
					Bhartiya sanskriti sambandh prishad new delhi	966231 dtd 27/09/2017	1200.00
					Akshar prakashan ltd	966230 dtd 27/09/2017	1800.00
					Mahatma gandhi international university	966234 dtd 27/09/2017	1200.00
					Mahatma gandhi international university	966235 dtd 27/09/2017	360.00
					Vak delhi	966233 dtd 27/09/2017	1800.00
					Sampadak sodh dhara	966232 dtd 27/09/2017	2500.00
					Independent media iniciative society	966226 dtd 27/09/2017	1200.00
					Sachiv hindi academy delhi	966224 dtd 27/09/2017	975.00
					Antika prakashan	966225 dtd 27/09/2017	900.00
					Sachiv sahitya parishad	966221 dtd 27/09/2017	750.00
					Natrang delhi	966223 dtd 27/09/2017	900.00
					Adhyaksh vaigyanik avam taknik sabdawali ayog new delhi	966218 dtd 27/09/2017	150.00
					Sachiv sahitya academy	966220 dtd 27/09/2017	350.00
					Ajkal prakashan vibhag new delhi	966222 dtd 27/09/2017	250.00
					Bhartiya bhasha parishad vagarth	966236 dtd 27/09/2017	975.00
					Naya gyanoday bharitya gyanpith	966219 dtd 27/09/2017	850.00
					Nichod jagdalpur	966237 dtd 27/09/2017	500.00
				44	**Rajkamal prakashan**	BR3987 dtd 02/11/2017	23621.00
				44	**Mishra book stall**	2652 dtd 05/10/2017	419.00

	EQUIPMENTS			
37	**M/s virtual world (sony exclusive showroom)**	477 dt 08/10/2015		
	Voice recorder			
	Hard disk			
	Digital camera			39180.00
43	**Krishna stores**	761 dt 09/10/2015		
	Pendrive 32 gb			720.00
43	**M/s united computers**	1172 dt 18/09/2017		
	Desktop hp			31000.00
	20 inch led hp			6000.00
	Ups iball			1750.00
44	**Krishna services**	1272 dt 23/11/2017		
	Sandisk pendrive 16 and 32 gb			1350.00
43	**Central jail jagdalpur**	12 dt 11/10/2017		
	steel almirahs			17250.00
	TRAVELLING & FIELDWORK			
	Annexure A			40000.00
42	CONTINGENCY			
	Annexure B			25000.00
	Total Rupees			205000.00

Total Rupees 205000.00

As per our report of even date
FOR , ANAND JIMNANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

JAGDALPUR (C.G.)

ARVIND KAUSHIK
PARTNER
M No 401390
FRN 009804C

PLACE: JAGDALPUR
DATE: 20-12-2017

Annexure - V

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI – 110 002

Utilization certificate

Certified that the grant of Rs. ....**2,05,000=00** ....

(Rupees__**Two Lac Five Thousand** only) received from the University Grants Commission under the scheme of support for Minor Research Project 5. entitled__ बस्तर जिले में प्रचलित लोक नृत्य एवं लोक गीतों का संकलन एवं साहित्यिक अध्ययन

vide UGC letter No. F.__ MH- 82/202047/X11/14-15-CRO dated__04 Feb. 2015 has been fully utilized for the purpose for which it was sanctioned and in accordance with the terms and conditions laid down by the University Grants Commission.

SIGNATURE OF THE PRINCIPAL INVESTIGATOR

PRINCIPAL
PRINCIPAL
Govt. Danteshwari Mahila Mahavidhyala
JAGDALPUR
(Seal)

JAGDALPUR (C.G.)
STATUTORY AUDITOR
20/12/2017
(Seal)

ANAND JIMNANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Branch Office :
Kaushik Chamber
SBI Road, JAGDALPUR
☎ : 225501, 225041; Mob.: 094242 70934
Email id : arvi.kaushik@gmail.com

ARVIND KAUSHIK F.C.A. PRATIK CHIKHALIKAR A.C.A. ANAND JIMNANI F.C.A.

ANNEXURE - I

UTILISATION CERTIFICATE

It is certified that the grant of Rs **205000/-** (**Rupees Two Lakh Five Thousand only**) received by the University Grants Commission under the scheme of support for Minor Research Project entitled vide UGC letter No.F.MH-82/202047/X11/14-15-CRO dated.04 Feb,2015 and that all these terms and condition have been fulfilled by the college and the grant has been utilised for the purpose for which it was approved

It is further certified that all entries of permanent or semi permanent assets created/acquitted wholly or mainly out of the grants given by the UGC as indicate above are being maintained to the prescribed form and kept up to date and these assets have been disposed of encumbered or utilised for any other purpose.

For Anand Jimnani& Associates
Chartered Accountants

(Arvind Kumar Kaushik)
Partner
M.No. 401390
Audited by Chartered Accountants/Govt. Auditor
(with Seal)

Principal / Registrar
(College / University)
(with Seal)

H.O.: Dixit Colony, Station Road, DURG (C.G.) ☎ : **0788 - 2323351**
B.O.: C/o Vishnu Baghel, Shop No. 8, Second Floor, Shahid Veer Narayan Singh Parisar, Ghadi Chowk, Raipur (C.G.) PIN - 492 001, **Mob. : 86027 30706**

STATEMENT OF ACCOUNTS
AND
AUDIT REPORT

SCHEME :INTERNALQUALITY ASSURANCE CELL (IQAC)

NAME :GOVT . DANTESHWARI GIRLS COLLEGE JAGDALPUR

ADDRESS :JAGDALPUR DIST: BASTAR (C.G)

ANAND JIMNANI & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Arvind Kaushik F.C.A
Kaushik Chamber,
SBI Road Balaji ward
Jagdalpur (C.G)
Tele.07782-225501

STATEMENT OF EXPENDITURE

1. Name of College : **GOVT DANTESHWARIGIRLS COLLEGE JAGDALPUR**
2. UGC approval Latter No. and Date: **UGC /CRO/IQAC/202047/2013-14 dt20.03.2014**
3. Effective date of Establishment of IQAC: **04.04.2014**
4. Period of Expenditure: From **04/04/2014 to 07/07/2018**

Details of Expenditure

S. No	Item	Amount Approved (Rs.)	Expenditure Incurred (Rs.)
1.	Honorarium to the Coordinator, IQAC Rs. 1000 ×12×5	60,000/-	35,000/-
2.	Office Equipments	60,000/-	47,325/-
3.	Hiring Services for Secreturial & Technical Services	60,000/-	28,644/-
4.	ICTs Communication expenses	70,000/-	68,000/-
5.	Contingencies	50,000/-	32,223/-
6.	Unutilized Grant return		88,808/-
	Total	3,00,000/-	3,00,000/-

It is certified that the amount of Rs.3,00,000/- (Rupees.Three Lakh only) out of the total grant of Rs. 300000/- (Rupees Three Lakh only)Sanctioned to **Govt Danteshwari Girls College Jagdalpur Dist Bastar (C.G.)** by the University Grants Commission vide its letter number- **UGC /CRO/IQAC/202047/2013-14** dated **20.03.2014** towards **UGC GRANT** under **Internal Quality Assurance Cell (IQAC)** scheme has been utilized for the purpose for which it was of check or audit objection, some irregularities are noticed at a later stage, action will be taken to refund adjust or regularize the objected amount.

Signature
Principal with seal

JAGDALPUR (C.G.)

For, Anand Jimnani & Associates
Chartered Accountants
Partner
04/09/2018

STATEMENT OF ACCOUNTS
AND
AUDIT REPORT

SCHEME :INTERNALQUALITY ASSURANCE CELL (IQAC)

NAME :GOVT . DANTESHWARI GIRLS COLLEGE JAGDALPUR

ADDRESS :JAGDALPUR DIST: BASTAR (C.G)

ANAND JIMNANI & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Arvind Kaushik F.C.A
Kaushik Chamber,
SBI Road Balaji ward
Jagdalpur (C.G)
Tele.07782-225501

STATEMENT OF EXPENDITURE

1. Name of College : **GOVT DANTESHWARIGIRLS COLLEGE JAGDALPUR**
2. UGC approval Latter No. and Date: **UGC /CRO/IQAC/202047/2013-14 dt20.03.2014**
3. Effective date of Establishment of IQAC: **04.04.2014**
4. Period of Expenditure: From **04/04/2014 to 07/07/2018**

Details of Expenditure

S. No.	Item	Amount Approved (Rs.)	Expenditure Incurred (Rs.)
1.	Honorarium to the Coordinator, IQAC Rs. 1000 ×12×5	60,000/-	35,000/-
2.	Office Equipments	60,000/-	47,325/-
3.	Hiring Services for Secretarial & Technical Services	60,000/-	28,644/-
4.	ICTs Communication expenses	70,000/-	68,000/-
5.	Contingencies	50,000/-	32,223/-
6.	Unutilized Grant return		88,808/-
	Total	3,00,000/-	3,00,000/-

It is certified that the amount of Rs.3,00,000/- (Rupees.Three Lakh only) out of the total grant of Rs. 300000/- (Rupees Three Lakh only)Sanctioned to **Govt Danteshwari Girls College Jagdalpur Dist Bastar (C.G.)** by the University Grants Commission vide its letter number- **UGC /CRO/IQAC/202047/2013-14** dated **20.03.2014** towards **UGC GRANT** under **Internal Quality Assurance Cell (IQAC)** scheme has been utilized for the purpose for which it was of check or audit objection, some irregularities are noticed at a later stage, action will be taken to refund adjust or regularize the objected amount.

Signature
Principal with seal

PRINCIPAL
Smt. Danteshwari Mahila Mahavidhyalay
JAGDALPUR

ANAND JIMNANI & ASSOCIATES JAGDALPUR (C.G.) CHARTERED ACCOUNTANTS

For,Anand Jimnani & Associates
Chartered Accountants
Partner
04/09/2018

ANAND JIMNANI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Branch Office :
Kaushik Chamber
SBI Road, JAGDALPUR
☎ : 225601, 225041; Mob.: 094242 70934
Email id : arvi.kaushik@gmail.com

ARVIND KAUSHIK F.C.A. PRATIK CHIKHALIKAR A.C.A. ANAND JIMNANI F.C.A.

ANNEXURE - I

UTILISATION CERTIFICATE

It is certified that the grant of Rs 162500/- (**Rupees One Lakh sixty two Thousand five hundred only**) received by the University Grants Commission under the scheme of support for Minor Research Project General Development Assistance entitled vide UGC letter No.F NO. GD/202047/XII/12-12/CRO dated.20 March 2013 and that all these terms and condition have been fulfilled by the college and the grant has been utilised for the purpose for which it was approved

PRINCIPAL
Govt. Danteshwari Mahila Mahavidhyala
JAGDALPUR

It is further certified that all entries of permanent or semi permanent assets created/acquitted wholly or mainly out of the grants given by the UGC as indicate above are being maintained to the prescribed form and kept up to date and these assets have been disposed of encumbered or utilised for any other purpose.

For Anand Jimnani& Associates
Chartered Accountants

(Arvind Kumar Kaushik)
Partner
M.No. 401390
Audited by Chartered Accountants/Govt. Auditor
(with Seal)

Principal / Registrar
(College / University)
(with Seal)

H.O.: Dixit Colony, Station Road, DURG (C.G.) ☎ : 0788 - 2323354
B.O.: C/o Vishnu Baghel, Shop No. 8, Second Floor, Shahid Veer Narayan Singh Parisar
Ghadi Chowk, Raipur (C.G.) PIN - 492 001, Mob. - 86027 30706

GOVT. DANTESWARI GIRLS COLLEGE, JAGDALPUR
DIST. BASTAR (C.G.)

Statement of Income and Expenditure Account of (UGC) Adhoc on account Grant

Name of the College : Govt. Danteswari Girls College Jagdalpur

Name of the scheme : **General Development (XII th Plan)**

Date	Particulars of Bank Draft No. & Date	Amount	Cash Book Page No.	Cash Book Page No.	Particulars	Bill No. & Date	Amount
					COMPUS DEVELOPMENT		
	Opening Balance	1103.00		36	Agraj Sales	834/31.10.15	46000.00
				39	United Computer	4167/24.8.15	55080.00
04.04.2014	RTGS/ NEFT	1129500.00	31				
					CAREER GUIDANCE CELL		
				38	United Computers	4480/19.02.2016	66250.00
				40	Vardhaman Computers	20/13.12.2016	12600.00
				44	Jeet Stationery	3747/17.12.16	842.00
					MAINTENANCE		
				37	Jayshree Computer	172/01.02.16	3000.00
				38	Vijay Enterprises	696/23.12.15	4379.00
				39	Hrishikesh Computers & Part Repairing	712/20.09.2016	3150.00
				39	Vijay Enterprises	391/10.09.2016	4378.00
				40	Anil electricalds	279/08.11.16	1800.00
				41	Vikram Bhatt	264/03.03.2017	2500.00
				42	Woonwala	182/03.05.2017	790.00
				42	Vijay Computer	197/26.05.2017	4379.00
				43	Service Point	218/06.07.2017	1980.00
				45	Vijay Enterprises	505/15.09.2017	2000.00
				45	Vijay Enterprises	395/25.09.2017	4750.00
				45	Sankhala Computers	5465,5678 & 5468 dated 29.07.17	12840.00
				45	Anand Jimnani and Associtės	67/13.09.17	2950.00
					BOOKS		
				38	Krishna Books Depot	1077 to 1086 date 15.03.2016	98985.00

			STAKING		
		44	Central Jail	09/11.09.2017	8625.00
			CULTURE ACTIVITIES		
		44	Bony Choudhary & Groups		2500.00
		44	Rathi & Co.	1537/25.092017	2352.00
		40	Namita Agrawal		2000.00
			OFFICE EQUIPMENT		
		45	United Computers	1182/18.09.2017	45300.00
		46	Agraj Sales	1991/29.9.2017	49500.00
		46	Agraj Sales	1984/28.9.2017	49800.00
		47	Unutilized Grant return to UGC		641863.00
Total Rupees	1130603.00		Total Rupees		1130603.00
			Balance Rs		0.00

STATEMENT OF ACCOUNTS
AND
AUDIT REPORT

FOR THE YEAR 2019-2020

NAME JAN BHAGIDARI SAMITI
GOVERNMENT DANTESHWARI COLLEGE JAGDALPUR

ADDRESS JAGDALPUR DIST BASTAR (C.G.)

NITESH RATHI & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Nitesh Rathi A.C.A
Jagdalpur (C.G)

AUDITOR'S REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of **JAN BHAGIDARI SAMITI GOVERNMENT DANTESHWARI COLLEGE JAGDALPUR DIST. BASTAR (C.G.)** as on 31st March 2020, and also Receipt and Payment and Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These Financial Statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standard require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement An audit includes examining on test basis, evidence supporting the amount and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting Principal used and significant estimates made by management. as well as evaluating the overall financial statement Presentation. We believe that our audit Provides a reasonable basis for our opinion.

We report that :-

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge necessary for the purpose of audit.
2. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the division, so far as appears from our examination of those books.
3. The receipts and Payment account dealt with by this report is in agreement with the books of account.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said account give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs as on 31.03.2020.
b) In the case of Income and Expenditure account **Surplus** for the year ended on that date.

For Nitesh Rathi and Associates
Chartered Accountant

Nitesh Rathi
Proprietor
M.No.438596
FRN 024889C

Place: Jagdalpur
Date: 15.07.2021

JAN BHAGIDARI SAMITI
GOVERNMENT DANTESHWARI GIRLS COLLEGE JAGDALPUR
DIST. BASTAR (C.G.)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

LIABILITIES		AMOUNT	ASSETS		AMOUNT
GENERAL FUND ACCOUNT			**FIXED ASSETS**		
Previous balance	4214417.00		Almirah	5350.00	
Add :Surplus during the year	399490.50	4613907.50	Furniture	8110.00	
			Equipment	9170.00	
			Computer	17150.00	39780.00
			CURRENT ASSETS		
			Cash in Hand & at Bank		
			Cash in Hand	287.00	
			Cash at Bank		
			SBI A/c	2766510.50	
			SBI Joint A/c	1807330.00	4574127.50
TOTAL RUPEES		**4613907.50**	**TOTAL RUPEES**		**4613907.50**

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
FOR NITESH RATHI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

NITESH RATHI
PROPRIETOR
M.NO. 438596
FRN 024589C

PLACE: JAGDALPUR
DATE: 15.07.2021

JAN BHAGIDARI SAMITI

GOVERNMENT DANTESHWARI GIRLS COLLEGE JAGDALPUR

DIST. BASTAR (C.G.)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2020

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME		AMOUNT
To Honorarium	273950.00	By Jan Bhagidari fees received from Students		647440.00
" Affiliation Fees	15000.00	" Bank Interest		
" Website Renewal	8260.00	SBI A/c	80399.00	
		SBI Joint A/c	56500.00	136899.00
" Repair & Maintance	39100.00	"		
" Prectical Equipment Exp.	6325.00			
" Contingency	34889.00			
" Printing & Stationery	7000.00			
" Bank Charges	324.50			
" Surplus (Excess of income over expenditure)	399490.50			
TOTAL RUPEES	784339.00	TOTAL RUPEES		784339.00

FOR NITESH RATHI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

NITESH RATHI
PROPRIETOR
M.NO. 438596
FRN 024589C

PLACE: JAGDALPUR
DATE: 15.07.2021

JAN BHAGIDARI SAMITI
GOVERNMENT DANTESHWARI GIRLS COLLEGE JAGDALPUR
DIST. BASTAR (C.G.)
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2020

RECEIPT		AMOUNT	PAYMENT		AMOUNT
			By Honorarium		273950.00
To Opening balance			" Affiliation Fees		15000.00
Cash in hand	28397.00		" Website Renewal		8260.00
Cash at bank			" Repair & Maintance		39100.00
SBI A/c	2469911.00		" Practical Equipment Exp.		6325.00
SBI Joint A/c	1676329.00	4174637.00	" Contingency		34889.00
" Jan Bhagidari fees received from Students		647440.00	" Printing & Stationery		7000.00
" Bank interest			" Bank Charges		324.50
SBI A/c	80399.00		" Loan & Advances		
SBI Joint A/c	56500.00	136899.00	Ku Lalita Kashyap	15000.00	15000.00
" Loan & Advances Adjustment		15000.00	" Closing balance		
Ku Lalita Kashyap	15000.00		Cash in Hand	287.00	
			Cash at Bank		
			SBI A/c	2766510.50	
			SBI Joint A/c	1807330.00	4574127.50
TOTAL RUPEES		4973976.00	TOTAL RUPEES		4973976.00

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
FOR NITESH RATHI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

NITESH RATHI
PROPRIETOR
M.NO. 438596
FRN 024589C

PLACE: JAGDALPUR
DATE: [illegible]

(Stamp: Nitesh Rathi & Associates, Jagdalpur (C.G.), FRN 024589C, Chartered Accountants)

JAN BHAGIDARI SAMITI

GOVERNMENT DANTESHWARI GIRLS COLLEGE JAGDALPUR

BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31.03.2020

PARTICULAR		AMOUNT
Balance as per Pass Book		
SBI JDP (Joint) A/c No 3009503999	1811924.00	
SBI A/C No 10460910181	2766510.50	4578434.50
Less:- Cheque issued but not presented		

Cheque No.	Date	Amount	
920377	22.03.2020	4594.00	4594.00

Balance as per Cash Book	**4573840.50**

Jagdalpur (C.G.)
FRN-024569C